

नोट- 1) कृपया जमानत राशि जमा करने से पूर्व प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेजों की पड़ताल सुनिश्चित करें

2) उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों का लेखित बकाया (संपत्ति, पानी, बिजली आदि) खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा

महत्वपूर्ण नोट- 1. नीलामी बिक्री "ई-नीलामी" पोर्टल <https://baanknet.com> के माध्यम से ऑनलाइन होगी, 2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल (<https://baanknet.com>) पर पंजीकरण करें इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार जब केवाईसी दस्तावेज ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित हो जाते हैं (जिसमें 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी तिथि- 04/08/2026 व समय सुबह 11.00 बजे से पहले पोर्टल पर अपने क्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मॉड का उपयोग करके ईएमडी राशि हस्तांतरित करनी होगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और वॉलेट में ईएमडी का हस्तांतरण नीलामी की तारीख से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। नियम और शर्तों- बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों व शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:- 1. संपत्तियों को "जैसा है जहां है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. संपत्ति की बिक्री ई-नीलामी तिथि- 04/08/2026 व समय सुबह 11.00 बजे वेबसाइट <https://baanknet.com> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अयोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया <https://baanknet.com> एवं www.pnbindia.in देखें। इस नीलामी के अंग्रेजी में जानकारी के लिए Central Chronicle दिनांक 03.07.2026 में प्रकाशित समाचार पत्र देखें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

नोट- इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई-डी व पासवर्ड स्वयं खाना है। जिसे बनाने में न्यूनतम 2 दिन का समय लगता है। अतः बोलीकर्ता से निवेदन है कि यूजर आई-डी अंतिम तिथि से पूर्व ही बना ले।

दिनांक: 03.07.2026, स्थान: बिलासपुर

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर (छ.ग.)



Central Bank of India
Regional Office, Ambikapur (C.G.)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखी गई

अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना:

आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता "सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पास बंधक रखी गई है, जिसका भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा (संपत्ति के सामने विशेष रूप से उल्लिखित) सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बंधक समझौते के तहत लिया गया है, नीलामी के लिए रखी जाएगी तथा इसे नीचे उल्लिखित "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि की वसूली की जा सके। संबंधित सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि नीचे उल्लिखित है।

स. क्र.	उधारकर्ताओं/ शाखा का नाम	संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण और संपत्ति के माहिक / कब्जा का प्रकार	मांग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य	शाखा नाम/ सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नंबर
			बकाया राशि	घरोहर जमा राशि	सतपता
			कब्जा सूचना की तिथि	बोली वृद्धि राशि	
01	श्री शकील अहमद अंसारी, निवास- मकान नं. 280, मेन रोड, मो मीनपुरा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़-497001	खसरा नं. 2495/8, अंबिकापुर, प.ह.नं. 05, रा.नि.मं. अंबिकापुर 01, तहसील- अंबिकापुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़, पिन- 497001, क्षेत्रफल 0.026 हेक्टेयर में स्थित वह समस्त भूमि एवं संपत्ति, जिसमें भूमि, भवन, सुपर-स्ट्रक्चर, साझा रास्ते और बैंक की सुरक्षित संपत्ति शामिल है। पंजीकृत बंधक विलेख के अनुसार चौहदवी: उत्तर- सार्वजनिक सड़क, दक्षिण- हसमुद्दीन की भूमि, पूर्व- नियाज अंसारी का मकान, पश्चिम- सड़क। कब्जा का प्रकार- सांकेतिक	31/01/2026	₹ 28,39,500/-	श्री प्रवीण सिंह मो. 7489030604
			₹ 65,23,256.00 + उस पर ब्याज व अन्य व्यय	₹ 2, 83,950/-	
				₹ 1,00,000/-	
			23/04/2026	कोई SA दाखिल नहीं है	

निरीक्षण की तिथि एवं समय

04/08/2026

सुबह 10:00 बजे से 4:00 बजे के बीच

ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय

05/08/2026, दोपहर 3:00 बजे तक।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय

05/08/2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

ई-नीलामी "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ है आधार" पर आयोजित की जा रही है।

1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम हान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और दावों/ अधिकारों/ बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।

2. बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पहले ही पूरी करनी होंगी: चरण 1- बोलीदाता/ क्रेता पंजीकरण: बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल <https://www.baanknet.com> पर पंजीकरण करना होगा। चरण 2- केवाईसी सत्यापन: बोलीदाता को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इसमें दो कार्य दिवस लग सकते हैं)। चरण 3 - ईएमडी राशि का उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरण: ई-नीलामी पोर्टल पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके एनईएफटी/ ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन/ ऑफ-लाइन हस्तांतरण। चरण 1 से चरण 3 बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी तिथि से पहले काफी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए।

3. ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया अपनी बोलियां जमा करने और इसमें भाग लेने से पहले <https://www.baanknet.com> और सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.centralbankofindia.co.in देखें।

सफल बोली लगाने वाले को बोली की रकम का 25% (EMD काटकर) सफल बोली लगाने वाले के ऐलान के अगले दिन और बाकी 75% 15 दिनों के अंदर सेल इडिमेशन लेटर में बताए गए अकाउंट में जमा करना होगा (जो उसे जारी किया जाएगा)। अगर वह सेल इडिमेशन लेटर में बताई गई रकम जमा नहीं कर पाता है, तो पहले से जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी और प्रॉपर्टी का नया ऑक्शन किया जाएगा। बोली लगाने वाले अपने ऑफिस/अपनी पसंद की जगहों से कोटेशन/बोली लगाकर ई-नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। हर बोली लगाने वाले को खुद इंटरनेट कनेक्टिविटी पक्की करनी होगी। बैंक/सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की दिक्कतों, सिस्टम क्रैश होने, बिजली जाने वगैरह के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री

उधारकर्ताओं/गारंटर्स को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की ई-नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत की वसूली की जाएगी।

दिनांक : 03.07.2026

स्थान: अंबिकापुर (छ.ग.)

प्राधिकृत अधिकारी / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

ANU IMAGE MAKER
ADVT. PVT. LTD.
HOTEL MIDTOWN COMPLEX
IND 104, ELLIS R/C

DB.BSP- 03/07/26